

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 22/23

सन् 2023

GCMS NO-2023/188

बउनवानी:- 1. हरिमोहन पुत्र शंकर लाल मीना नि0 चौथ का बरवाडा तह0 चौथ का बरवाडा बनाम

2. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा
(अपील विरुद्ध तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 542/2023 निर्णय दिनांक 19.10.2023 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :- 1. श्री अब्दुल बहाव

वकील अपीलान्त

2. श्री तुलसीराम शर्मा

नायब तहसीलदार.(पैरोकार)

:- निर्णय :-

दिनांक 20.2.2024

अपीलान्त द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 542/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2023 जिसके द्वारा अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्त के विरुद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल किया जाकर 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया एवं विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलों में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2080 (खरीफ) में वाके ग्राम चौथ का बरवाडा ए तहसील चौथ का बरवाडा की भूमि आराजी ख0न0 1861 रकबा 0.10 है0 1862 रकबा 0.05 है0, ख0न0 1863 रकबा 0.18 है0, ख0न0 1891 रकबा 0.17 है0 किस्म चाही-1 कुल रकबा 0.50 है0 भूमि पर जोत लगाकर एवं बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्त को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, विवादित भूमि पर अपीलान्त का अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जाँच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्त का अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जाँच आदेश जैर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्त ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जाँच नहीं की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा रजिशावश प्रस्तुत गलत व झूठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। यह कथन भी किया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्त को नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के तहत विधिवत नोटिस जारी कर सुनवायी का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया एवं बिना सुने ही न्यायिक सिद्धान्तों के विरुद्ध जाकर अपीलान्त के विरुद्ध आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया जिसके कारण अपीलान्त अपनी प्रतिरक्षा करने के अधिकार से महरूम हो गया। अपीलान्त द्वारा उक्त ख0न0 1861,1862,1863,1891 पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। जहाँ तक अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण का प्रश्न है इस (डॉ. सुशाल सम्बन्ध) में विधि में सुस्थापित है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्व में किसी निर्णय के क्रियान्वयन में

(डॉ. सुशाल सम्बन्ध)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(अपील संख्या 22/2023 उनवानी हरिमोहन बनाम सरकार)


मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया हो तो उस व्यक्ति को पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर अपीलान्त को कथित प्रश्नगत भूमि पर से पूर्व में बेदखल किया गया हो, इस सम्बन्ध में अदालत मातहत द्वारा लिये गये इकतरफा बयान को विधि अनुरूप नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें अपीलान्त को पटवार हल्का से जिरह करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के विपरीत है। अतः आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्त ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्त की सुनवायी का जहाँ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्त के नोटिस की अपीलान्त के भाई से करवायी गई तामील से हो जाती है। क्योंकि अपीलान्त के पुत्र मुकेश मीना ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया, जिसके आधार पर अपीलान्त को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि ख0न0 1861,1862,1863,1891 अतिक्रमण नहीं होने बाबत किये गये कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया है तथा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 19.01.2024 के अनुसार ख0न0 1861,1862,1863,1891 रकबा 0.50 है0 पर अपीलान्त द्वारा वर्तमान में सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया । ।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्त को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्त की तलवी हेतु जारी नोटिस की उसके भाई से करवायी गयी तामील हो जाती है किन्तु भाई अपीलान्त के साथ रहता है अथवा अलग रहता है स्पष्ट अंकित नहीं होने के कारण उक्त तामील प्रोपर तामील की श्रेणी में नहीं आती है। जहाँ तक अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर नहीं की जा सकती है, क्योंकि पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है इसके अतिरिक्त अपीलान्त को उक्त भूमि पर से पूर्व में बेदखल किये जाने व फसल कुर्की इत्यादि से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। उपरोक्त विवेचन से यह पाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है और ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सम्पूर्ण दस्तावेज हमफ्रीता किये गये हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को पुनः सुनवायी हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर आदेश जैर अपील सजा की सीमा तक निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्त को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण, बेदखली, फसल कुर्की, पूर्व में पारित निर्णय, पटवारी बयान इत्यादि दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रदर्श करते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर विधिवत निर्णय पारित करे। अपीलान्त 15 दिवस के अन्दर अपना पक्ष रखने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.2.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ०खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर